

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय ::  
महानदी भवन-नर्या रायपुर

// संशोधित आदेश //

रायपुर, दिनांक : .....

क्रमांक एफ 5-5/2005/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 5-5/2005/20-तीन, दिनांक 26.03.2013 द्वारा जारी आदेश सत्र 2013-14 से प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए ही लागू होगा, सत्र 2012-13 में प्रवेशित अभ्यर्थी पूर्व में निर्धारित शुल्क ही द्वितीय वर्ष में जमा कर प्रवेश लेंगे तथा यदि इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा कोई राशि ली गई है तो अभ्यर्थी को तत्काल वापस करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


(एम.एन.राजूरकर)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 5-5/2005/20-तीन

रायपुर, दिनांक : 18-11-13

प्रतिलिपि:-

- (1) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, और प्रशिक्षण परिषद्, शंकरनगर, रायपुर। कृपया सर्व संबंधितों की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (2) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनवाड़ा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (3) आयुक्त, आदिम जाति / अनु.जाति / अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर छ०ग०।
- (4) गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा

AK